भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 658
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की संख्या

+658. श्री विजय कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उनमें पूर्वोक्त श्रेणियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कितना है ;

(ग) स्वतंत्रता के बाद से अब तक नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या की तुलना में इन श्रेणियों से नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका में इन श्रेणियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस पहल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या दर्शित करने वाला विवरण उपाबंध पर संलग्न है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद, 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। इसलिए, किसी वर्ग /प्रवर्ग वार कोई आंकड़ा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

****

उपाबंध

'न्यायाधीशों की संख्या' के संबंध में श्री विजय कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 658 जिसका उत्तर तारीख 20.11.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(तारीख 14.11.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
क	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**34**	**34**
ख	**उच्च न्यायालय**		
1	इलाहाबाद	160	100
2	आंध्र प्रदेश	37	15
3	बंबई	94	65

4	कलकत्ता	72	40
5	छत्तीसगढ़	22	15
6	दिल्ली	60	37
7	गुवाहाटी	24	18
8	गुजरात	52	28
9	हिमाचल प्रदेश	13	10
10	जम्मू - कश्मीर	17	09
1 1	झारखंड	25	19
12	कर्नाटक	62	39
13	केरल	47	33
14	मध्य प्रदेश	53	31
15	मद्रास	75	54
16	मणिपुर	05	04
17	मेघालय	04	03
18	ओडिशा	27	14
19	पटना	53	27
20	पंजाब और हरियाणा	85	49
21	राजस्थान	50	22
22	सिक्किम	03	03
23	तेलंगाना	24	13
24	त्रिपुरा	04	03
25	उत्तराखंड	1 1	10
कुल		**1079**	**661**

****